Deccan Chronicle 14-May-2021

NHRC issues notice over bodies in Ganga

52 bodies were found in Ujiyar, Kulhadia, Bharauli ghats

New Delhi, May 13: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Union Jal Shakti Ministry, Uttar Pradesh and Bihar, after receiving complaints about several bodies found floating in the Ganga river in the two states.

"It (NHRC) has issued notices to the chief secretaries of both the states and the secretary, Union Ministry of Jal Shakti, today calling for action taken report within four weeks," its statement noted.

According to residents in Ballia district of Uttar Pradesh, at least 52 bodies were seen floating at the Ujiyar, Kulhadia and Bharauli ghats in the Narahi area. Similar reports of bodies floating in the Ganga have come from Bihar.

NHRC SAID that it seems the public authorities have failed to take concentric efforts in educating the masses and checking the immersion of half-burnt or unburnt bodies into the Ganga.

In its statement, the NHRC said that it seems the public authorities have failed to take concentric efforts in educating the masses and checking the immersion of half-burnt or unburnt bodies into the Ganga.

India has been badly hit by the second wave of coronavirus infections and cremation grounds and burial grounds across the country have been overburdened.

The NHRC's statement said, "The practice of disposal of dead bodies in our sacred river Ganga is clearly in violation of guidelines of the National Mission for Clean Ganga project of the Ministry of Jal Shakti."

It said it received a complaint dated May 11, 2021, based on several media reports, wherein apprehensions were expressed that these bodies floating in the Ganga were of Covid-19 victims.

The complaint noted that the disposal bodies in such a manner may seriously affect all those persons who are dependent on the Ganga for their day-to-day activities, the NHRC mentioned.

"It (complaint) further stated that even if these dead bodies were not of Covid victims, then such practice/incidents are shameful to the society as a whole as that amounts to violation of human rights of even deceased persons," the NHRC added.

India added 3,62,727 new coronavirus infections in a day taking the Covid-19 tally of cases to 2,37,03,665, while the death toll rose to 2,58,317 with 4,120 daily fatalities, according to the Union Health Ministry data updated on Thursday. The active cases have increased to 37,10,525 comprising 15.65 per cent of the total infections. — *PTI*

Millennium Post 14-May-2021

Heavy rains likely to lash Kerala on May 14, 15; Red alert sounded

Low pressure is very likely to become well marked over Lakshadweep area PIC/PTI

Highlights

- IMD said the low pressure is very likely to become well marked over Lakshadweep area today
- It is likely to reach near Gujarat coast around May 18 evening, according to the forecast
- KSDMA has urged the people living in landslide prone areas and coastal areas to take all precautions

THIRUVANANTHAPURAM: Authorities have sounded red alert in three districts of Kerala on May 14 and five districts on May 15, indicating the possibility of extremely heavy rains under the influence of a low pressure area over the Arabian Sea.

In a tweet, Chief Minister Pinarayi Vijayan asked authorities and people to follow the guidelines issued by the state disaster management authority.

"Red Alert! 14 May - Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, 15 May - Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur, Kasargod. Follow guidelines issued by @KeralaSDMA", Vijayan tweeted, hours after the IMD issued a warning and said that the low pressure area over the Arabian Sea is likely to intensify into a cyclonic storm by May 16, which may bring heavy rainfall in some parts of Kerala.

The India Meteorological Department (IMD) said the low pressure is very likely to become well marked over Lakshadweep area by Friday morning, concentrate into a depression over the same region by Saturday morning and intensify into a Cyclonic Storm during the subsequent 24 hours.

It is very likely to intensify further and move north-northwestwards towards Gujarat and adjoining Pakistan coasts.

It is likely to reach near Gujarat coast around May 18 evening, according to the forecast.

Authorities have banned fishing in the sea till the situation becomes normal.

The Kerala State Disaster Management Authority (KSDMA) has urged the people living in landslide prone areas and coastal areas to take all precautions.

It has also directed authorities to take steps to open relief camps adhering to COVID-19 protocol.

Various district administrations have opened control rooms at the district, taluk and panchayat levels to coordinate relief operations in view of heavy rains predicted by the IMD. AGENCIES

Rashtriya Sahara 14-May-2021

मौसम के बदले तेवर : रविवार तक पश्चिमी तट पर देगा दस्तक

साल के पहले चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई चिंता, जारी हुआ अलर्ट

केरल: अलर्ट के कारण तट पर एकत्र बोट

तूफान के अलर्ट के बाद मछुआरों की बोट विझिन्जाम तट पर।

अगले 24 घंटों में बारिश के आसार

आगामी 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, पूर्वी बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्यप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और कश्मीर में बारिश के आसार हैं। आइएमडी के मुताबिक मानसून 1 जून को केरल में दस्तक दे सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान, लक्षद्वीप के ऊपर भारी से अति भारी बारिश हुई। केरल और दक्षिणी कर्नाटक के तटों के साथ-साथ लक्षद्वीप और कोमोरिन का समुद्र बहुत उग्र बना हुआ है और हवाएं भी काफी वेग के साथ चल रही हैं।

हादसा : बारिश से ढही दीवार, 4 लोग मरे

हरदोई. उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बरसात से घर की दीवार भरभराकर गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम मढिया मजरा परसा मोहद्दीनपुरि निवासी रामनरेश के घर पर यज्ञोपीत संस्कार कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ। जिसमें रामेंद्र, राजेश, मझिलके मिश्रा और गोकरन की मौत हो गई।

नई दिल्ली. कोरोना से जूझ रहे देश पर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। साल का पहला चक्रवाती तूफान रविवार तक पश्चिमी तट पर दस्तक देगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में पूर्वी मध्य अरब सागर पर चक्रवात बनने का अनुमान लगाया है। म्यांमार ने इसे 'तौकते' नाम दिया है। इसका अर्थ है अत्यधिक आवाज वाली छिपकली। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में यह चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। मछुआरों को तट पर नहीं जाने के लिए कहा है। कोस्ट गार्ड ने जहाज एवं हेलीकॉप्टर के जरिए मछुआरों को अलर्ट किया है। कई राज्यों में बारिश: चक्रवाती हवाओं के असर से दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु में बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक दिल्ली में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड और केरल में के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवात तूफान पाकिस्तान के कराची से टकराएगा, लेकिन गुजरात के समुद्री किनारे पर भी तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 14 मई के आस-पास इसके लक्षद्वीप क्षेत्र में उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने की संभावनाएं हैं। 14 से 16 मई के बीच केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, और महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।

Haribhoomi 14-May-2021

इडुक्की आर्क बांध का निर्माण पेरियार नदी पर कौरवथिमाला और कुरावनमाला नामक दो ग्रेनाइट पहाड़ो, के बीच किया गया है। बांध की लम्बाई 365 मीटर है जो शीर्ष पर 7 मीटर चौड़ा और तल में लगभग 20 मीटर चौड़ा है। जलाशय 2,000 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक क्षमता बनाता है जिसमे पानी को कंडक्टर प्रणाली के माध्यम से मुलमट्टम पावर हाउस में भेजा जाता है जिसमें सुरंग और भूमिगत दबाव शाफ्ट हैं।

Haribhoomi 14-May-2021

नदियों में शव फेंकना अपराध, हो कार्रवाई

कोरोना से जिनकी मौत हो रही है, कम से कम वे सम्मानजनक अंतिम संस्कार के हकदार हैं। यदि मौत कोरोना से नहीं भी हुई है, तब भी उनके शव का यथोचित संस्कार किया जाना चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन ने खुद कोरोना से होने वाली मौतों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल करने का तय किया है, फिर प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वे ऐसे शवों की अंत्येष्टि सुनिश्चित करे। बीते कुछ दिनों में गंगा नदी में दर्जनों शव तैरते मिले हैं। दृश्य डरावने व मानवता को शर्मसार करने वाले थे। इसको लेकर बिहार और यूपी सरकार में आरोप-प्रत्यारोप भी हुए और विपक्ष ने सत्तधारी दलों पर आरोप भी लगाए। नदी में तैरते शवों के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का संज्ञान लेना मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है। एनएचआरसी ने केंद्र, यूपी और बिहार की सरकारों को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे प्रशासन जनता को गंगा नदी में आधे जले हुए या बिना जले शवों को बहाने के नुकसानों के बारे में शिक्षित नहीं कर सका है। पवित्र नदी गंगा में शवों को बहाना साफ तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ गंगा अभियान के तहत जारी किए दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। आयोग में 11 मई को यह शिकायत की गई थी, जिसमें कई मीडिया रिपोर्ट्स में जाहिर की गई आशंका कि नदी में बहाए जा रहे शव कोरोना संक्रमितों के हो सकते हैं, का जिक्र किया गया है। ऐसे में शवों को इस तरह बहाना उन लोगों के लिए गंभीर हो सकता है जो अपनी रोजमर्रा के जीवन में नदी पर निर्भर है। अगर ये शव कोरोना संक्रमितों के नहीं भी हैं तो भी इस तरह नदी में लाशें बहाना समाज के लिए शर्मिंदा करने वाला कृत्य है, क्योंकि यह मृत व्यक्ति के मानवाधिकारों का भी हनन है। मानवाधिकार आयोग को इस मामले मे हस्तक्षेप करना चाहिए और इन मामलों को रोकने में असफल रहे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस ने गंगा में शव मिलने की न्यायिक जांच की मांग की है। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार को गंगा में शव कैसे आए, इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी, शवदाह गृह का पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं था, आदि सवालों का न केवल जवाब देना चाहिए, बल्कि इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। गंगा में शव बहाना अमानवीय भी है और कानूनन आपराधिक भी। ऐसा करना दंडनीय है। इसलिए प्रशासन का दायित्व है कि वह पता करे कि गंगा में इतनी बड़ी संख्या में शव कैसे पहुंचा। राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन का दायित्व है कि अपनी जनसंख्या के अनुपात में श्मशान का इंतजाम करे। आज जब देश में कोविड की दूसरी लहर घातक सिद्ध हो रही है, अचानक लोगों की जान जाने लगी है, तो जैसे श्मशान में शवों की भीड़ लगने लगी है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को त्वरित इंतजाम करना चाहिए। प्रशासन लोगों की तकलीफ समझे, सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। यूं नदियों में शव बहाने से एक तो उसका जल दूषित होगा, दूसरा लोगों में दहशत फैलेगी, तीसरा शव वाले क्षेत्र के आसपास बीमारियां फैलेंगी। शव बहाने वाले परिवार को भी पकड़े जाने की आवश्यकता है। लोगों की भी इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि वे अपने परिजन के शवों को उचित तरीके सं अंतिम संस्कार करे, नदियों में नहीं बहाए। अस्पताल प्रशासन को भी कोरोना से हुई मृतकों के शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना चाहिए। गंगा में शव बहाने के दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सरकारों को कोविड से या सामान्य मौत के बाद शवों के अंतिम संस्कार को लेकर संजीदगी दिखानी चाहिए।

Jansatta 14-May-2021

जहरीला होता भूजल

अखिलेश आर्येंदु

केंद्र सरकार 2024 तक प्रत्येक परिवार को साफ और शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराने की योजना पर कार्य कर रही है, लेकिन सवाल है कि नदियों, झीलों, नहरों और तालाबों के पानी को साफ कर क्या सबको शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा सकता है? भूजल के विषैले होने और भूजल का स्तर लगातार नीचे जाने जैसी विकट समस्या के समाधान के बगैर देश के प्रत्येक परिवार को कैसे साफ और शुद्ध जल उपलब्ध कराया जा सकता है?

भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में पीने लायक शुद्ध पानी मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है। भारत में महज तीस प्रतिशत लोगों को पीने लायक पानी उपलब्ध है। उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक इलाकों में भूजल में कई तरह के रासायनिकों के मिश्रण की वजह से शुद्ध पानी की उपलब्धता कठिन होती जा रही है। इस दिशा में सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर जल मंत्रालय और राज्य सरकारों को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया था, लेकिन समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। गुजरात के कच्छ, राजस्थान के कई जिले, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भूजल मिश्रण की समस्या विकराल होती जा रही है। राजस्थान के कई जिलों में लोगों को कई किमी पैदल चल कर पीने का पानी मिलता है, वह भी रासायनिक तत्त्वों से युक्त।

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सेहत के लिए खतरनाक रासायनिक तत्त्वों की मिलावट वाले दूषित पानी की उपलब्धता से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम हैं। पर्यावरण मंत्रालय की मदद से केंद्रीय एजेंसी 'एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली' (आईएमआईएस) द्वारा देश में पानी की गुणवत्ता को लेकर तैयार किए आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान की सर्वाधिक 19,657 बस्तियां और इनमें रहने वाले 77.70 लाख लोग जहरीला पानी पीने की वजह से प्रभावित हैं। आईएमआईएस द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को सौंपे गए आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 70,736 बस्तियां फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौहतत्त्व और नाइट्रेट सहित दूसरे लवण एवं भारी धातुओं के मिश्रण वाले दूषित जल से प्रभावित हैं। इस पानी से सीधे-सीधे 47.41 करोड़ आबादी प्रभावित है।

राजस्थान में फ्लोराइड, नाइट्रेट और लवणयुक्त भूजल का प्रकोप सबसे ज्यादा है। राज्य में 5996 बस्तियों के 40.94 लाख लोग फ्लोराइड, 12,606 बस्तियों में रहने वाले 28.53 लाख लोग लवणयुक्त और 1050 बस्तियों के 8.18 लाख लोग नाइट्रेट मिश्रित पानी के इस्तेमाल को विवश हैं। वहीं असम के भूजल का बहुत बड़ा हिस्सा आर्सेनिक के मिश्रण की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं रह गया है। एक आंकड़े के मुताबिक असम की 4514 बस्तियों में रहने वाली सत्रह लाख की आबादी को आर्सेनिक युक्त पानी पीना पड़ रहा है। इससे कैंसर, हृदय सम्बंधी बीमारियों और पेट की बीमारियों से लोगों को दो-चार होना पड़ रहा है। असम सरकार ने इस दिशा में कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन भूजल के प्रदूषित होते जाने में कोई ऐसा कदम अभी नहीं उठाया गया है, जिससे राज्य के सभी लोगों को साफ और शुद्ध पीने लायक पानी मिल पाए।

इसी तरह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, मेरठ, जौनपुर, बस्ती सहित अनेक जिलों में आर्सेनिक और दूसरे रासायनिक तत्त्वों का मिश्रण भूजल में पाया गया है। चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी के परीक्षण के मुताबिक दिल्ली में जमीन के नीचे के पानी में क्लोराइड की मात्रा तय सीमा से एक हजार फीसद तक अधिक पाई गई। इसी तरह कैलशियम, मैग्नीशियम, जस्ता, सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, फेरिक (लोहा) और कैडमियम की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। इन तत्त्वों से युक्त पानी पीने से हृदयघात, किडनी पर बुरा असर, लीवर का संक्रमण, गैस्ट्रिक कैंसर, दांत संबंधित बीमारियां, नर्वस सिस्टम पर बुरा असर, त्वचा संबंधी रोग, तनाव, अस्थमा, थॉयरायड, हृदय संबंधी रोग, डायरिया और आंख संबंधी अनेक समस्याएँ देखी जा रही हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने भूजल के प्रदूषित होने के मद्देनजर बड़ी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने या आबादी से दूर स्थापित करने का आदेश दिया था। उसका पालन कुछ राज्य सरकारों ने किया, लेकिन आज भी दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, हरिद्वार, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दूसरे तमाम शहरों में औद्योगिक गतिविधियां जारी हैं, जिस पर तत्काल गौर करने की जरूरत है।

पश्चिम बंगाल, राजस्थान और असम की तरह ऐसा तीसरा राज्य है, जहां पानी में आर्सेनिक, नाइट्रेट जैसे जहरीले रासानिक तत्त्व बहुतायत में पाए जाते हैं। कोलकाता, उत्तर परगना, दक्षिण परगना, मुर्शीदाबाद जैसे अनेक जनपदों के भूजल में आर्सेनिक का होना सामान्य बात है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 17,650 बस्तियों के 1.10 करोड़ लोग जहरीले पानी की उपलब्धता वाले इलाके में रहते हैं। इन इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग कैंसर, फेफड़े, आंख की समस्या, अस्थमा, त्वचा संबंधी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। चिंता की बात यह है कि राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की तरफ से लोगों को साफ और शुद्ध पीने लायक पानी मुहैया कराना बहुत बड़ी चुनौती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आर्सेनिक का अधिकतम सुरक्षित स्तर दस पार्ट्स प्रति अरब (पीपीबी) माना है। गौरतलब है दुनिया के पंद्रह करोड़ लोग नियमित रूप से इससे अधिक आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, अमेरिका सहित दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं जहां आर्सेनिक, नाइट्रेट, कुछ खास तरह के लवण भूजल में घुले मिलते हैं। गौरतलब है कि विकसित देशों ने नई तकनीक के जरिए भूजल के विषाक्त होने की समस्या को काफी कुछ हल कर चुके हैं, लेकिन भारत, बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों में अभी इस दिशा में ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है, जिससे लोगों को जहरीला पानी पीने से छुटकारा मिलता।

नई वैज्ञानिक भूजल शोधन तकनीकि से आर्सेनिक, नाइट्रेट और दूसरे जहरीले रसायनों का भूजल में मिश्रित होने की प्रक्रिया को समझ कर भूजल के जहरीले होने से रोका जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अपरदन से चट्टानों के माध्यम से चट्टानों में मौजूद खनिज मिट्टी में आर्सेनिक छोड़ते रहते हैं। फिर मिट्टी से यह भूजल में चला जाता है, जिससे भूजल जहरीला हो जाता है। इसके अलावा मानव गतिविधियां, जैसे खनन और भूतापीय ऊष्मा उत्पादन, आर्सेनिक के पेयजल में मिलने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। इसका एक उदाहरण कोयला जलने के बाद उसकी बची हुई राख है, जिसमें आर्सेनिक और दूसरे जहरीले पदार्थ होते हैं, हवा या दूसरे माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। गौरतलब है कि भूजल में जहरीले तत्त्वों के मिश्रण, जिस प्रक्रिया से जल को दूषित करते हैं उसे रोकना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। लेकिन नई तकनीकि के इस्तेमाल से जल का शोधन कर पीने लायक पानी लोगों को मुहैया कराया जा सकता है।

प्रदूषित पानी पीने से सेहत पर तो असर पड़ता ही है, जिस जानवर को पिलाया जाता है और खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है वे सभी जहरीलें तत्त्वों के असर से दूषित हो जाती हैं। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों, जानवरों और खेती पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पानी में फ्लोराइड से फ्लूरोसिस, नाइट्रेट से श्वास संबंधी बीमारियां, लौह युक्त पानी से ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और आर्सेनिक युक्त दूषित जल से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यानी अगर भारत के लोगों को शुद्ध पानी मुहैया करा दिया जाए तो करोड़ों लोग अनेक घातक बीमारियों से बच सकते हैं।

केंद्र सरकार 2024 तक प्रत्येक परिवार को साफ और शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराने की योजना पर कार्य कर रही है, लेकिन सवाल है कि नदियों, झीलों, नहरों और तालाबों के पानी को साफ कर क्या सबको शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा सकता है? भूजल के विषैले होने और भूजल का स्तर लगातार नीचे जाने जैसी विकट समस्या के समाधान के बगैर देश के प्रत्येक परिवार को कैसे साफ और शुद्ध जल उपलब्ध कराया जा सकता है? जल संचयन, बड़े पैमाने पर जल शोधन और जल का अपरिग्रह करके जल से ताल्लुक रखने वाली सभी तरह की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।